

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर
पीठासीन अधिकारी का नाम : सुरेन्द्रसिंह पुरोहित (आर०ए०एस०)
वाद सं० : 349 सन 2019
अनवान :-

1. मनफुलदास पुत्र लादुराम जाति स्वामी निवासी निमला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1. लादुराम पुत्र श्रीरामदास जाति स्वामी निवासी निमला तहसील नोहर
2. उदमीराम 3 रामप्रताप 4 मनोहरदास पि० लादुराम जाति स्वामी निवासी निमला तहसील नोहर
- 5 इन्द्रा 6 सावत्री 7 शमा पुत्रीयान लादुराम जाति स्वामी निवासी निमला तहसील नोहर
- 8 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :- 13/9/19

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा निमला के खाता संख्या 218/231 की कुल 12.2930 हैक् एवं रोही मौजा थिराना के खाता संख्या 353/133 की कुल 8.4730 हैक् भूमि में 1/3 हिस्सा वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा श्रीरामदास पुत्र नारायणदास के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा श्रीरामदास पुत्र नारायणदास का देहान्त होने पर वाद भूमि उनके पुत्रों के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा र श्रीरामदास पुत्र नारायणदास के देहान्त होने के बाद विरास्तान से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पत्ति है पैतृक सम्पत्ति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 की बहने हैं एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 बहिब के प्रतिदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फेरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 स्वयं न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकवाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन

उप खण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

किया की उसका नाम से दर्ज भूमि उसके पिता श्रीरामदास पुत्र नारायणदास के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 जो वादी की बहन एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है ने निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाईयों/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल दावा पेश किया गया। ईकबाल दावा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 5 परोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों को सुना गया।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा निमला के खाता संख्या 218/231 की कुल 12.2930 हैक एवं रोही मौजा थिराना के खाता संख्या 353/133 की कुल 8.4730 हैक भूमि में 1/3 हिस्सा वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा श्रीरामदास पुत्र नारायणदास के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा श्रीरामदास पुत्र नारायणदास का देहान्त होने पर वाद भूमि उनके पुत्रों के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा र श्रीरामदास पुत्र नारायणदास के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पत्ति है पैतृक सम्पत्ति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है पूर्व में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 बहिव का अनुतोष चाहा गया था किन्तु अब वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 बहिव दर्ज करवाने पर सहमत हुए है इसी अनुसार डिक्री फरमावें।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्यध में कोई ऐतराज नहीं है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पत्ति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार की रोही मौजा निमला के खाता संख्या 218/231 की कुल 12.2930 हैक एवं रोही मौजा थिराना के खाता संख्या 353/133 की कुल 8.4730 हैक भूमि में 1/3 हिस्सा वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो प्रस्तुत वर्तमान जमाबन्दी से पूर्णतया साबित है।

प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत 2001, मिलान क्षेत्रफल, जमाबन्दी भू० प्रबन्ध विभाग सम्वत 2029 - 2038 के अनुसार पूर्व में वाद भूमि वादी के दादा श्रीरामदास वल्द नारायणदास के नाम से दर्ज थी वादी के दादा एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता श्रीरामदास वल्द नारायणदास के देहान्त होने पर विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या- 1 के नाम से दर्ज है जिसके कारण पैतृक सम्पत्ति है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पत्ति होना साबित है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पत्ति में वादी का

उप सपडाधिकारी (राजस्व)
मोहर (स्व. मा. वि. ज. द.)

हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पत्ति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 का बहिव के हकदार है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या ,5 ता 7 जो वादी की बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या ,5 ता 7 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के सामर्थन में ईकवाल भी पेश किया जा चुका है जो तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया जा चका है ।

इसप्रकार वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेशोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने के कारण वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा निमला के खाता संख्या 218/231 की कुल 12.2930 हैक् एवं रोही मौजा थिराना के खाता संख्या 353/133 की कुल 8.4730 हैक् भूमि में 1/3 हिस्सा वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 बहिव के खातेदार काशतकार है घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तस्तीव तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो ।

निर्णय आज दिनांक 13/9/2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

6
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नौहवा मण्डल (राजस्व)
नौहवा मण्डल (राजस्व)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :- सुरेन्द्र सिंह पुरोहित (आट.ए.एस)

अनवान :-

1. मनफुलदास पुत्र लादूराम जाति स्वामी निवासी निमला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

- 1 लादुराम पुत्र श्रीरामदास जाति स्वामी निवासी निमला तहसील नोहर
- 2 उदमीराम 3 रामप्रताप 4 मनोहरदास पि0 लादुराम जाति स्वामी निवासी निमला तहसील नोहर
- 5 इन्द्रा 6 सावत्री 7 शमा पुत्रीयान लादुराम जाति स्वामी निवासी निमला तहसील नोहर
- 8 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 349 सन 2019 निर्णय दिनांक- 13/09/19

आज यह वाद मुझ सुरेन्द्रसिंह पुरोहित उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष

अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा निमला के खाता संख्या 218/231 की कुल 12.2930 हैक् एवं रोही मौजा थिराना के खाता संख्या 353/133 की कुल 8.4730 हैक् भूमि में 1/3 हिस्सा वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 बहिव के खातेदार काश्तकार है घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 13/09/2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)